न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1263-दो/2011 - विरूद्ध आदेश दिनांक 19-7-2011 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 459/2010 -11 निगरानी

अनुराधा गुप्ता पुत्री स्व0 हरिश्चन्द्र गुप्ता
निवासी ग्राम ढेकहा तहसील हुजूर
जिला रीवा मध्य प्रदेश ----आवेदक

विरूद्ध

देवरती सेन पत्नि सुदामा सेन
निवासी ढेकहा तहसील हुजूर
जिला रीवा मध्य प्रदेश --- अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री हृदयलाल तिवारी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री शिवराज सिंह)

आ दे श

(आज दिनांक 07 - 6-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्र0क्र0 459/20101-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19-7-2011 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार हुजूर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की कि उसकी प्रकरण कमांक 164 अ-12/05-06 में आदेश दिनांक 7-2-06 से सीमांकन शुदा भूमि खसरा कमांक 151/2 रकबा 0.07 डि0

के गाड़े गये पत्थर को अनावेदक के पति ने उखाड़ दिया है इसलिये सीमांकन शुदा भूमि पर पत्थरों को पुर्नस्थापित कराया जाकर बेजा कब्जे को रोका जावे। तहसीलदार हुजूर ने प्रकरण कमांक 5 अ-11/2009-10 पॅजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 30.4.2010 पारित करके पुनः सीमा-चिन्ह कायम करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध महिला देवरती सेन एंव सुदामा सेन ने कलेक्टर रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। कलेक्टर रीवा ने प्रकरण कमांक 93 अ-12/02-03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23-12-2010 से निगरानी निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने प्रकरण कमांक 459/2010 -11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19-7-2011 से निगरानी स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर दिये तथा प्रकरण तहसीलदार हुजूर की ओर हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। अपर आयुक्त रीवा संभाग के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर सुनवाई हेतु पेशी 21-3-17 नियत थी, किन्तु उभय पक्ष के अभिभाषक अनुपस्थित रहे। आवेदक के अभिभाषक द्वारा पूर्व में लेखी बहस प्रस्तुत कर दी गई है। अनावेदक के अभिभाषक से अपेक्षा की गई कि वह चाहें तो 31-3-17 तक लेखी बहस प्रस्तुत कर सकते हैं, किन्तु उनकी ओर से बहस अप्राप्त है। आवेदक के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत लेखी बहस के साथ अधीनस्थ न्यायालयों के अवलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने लेखी बहस में उन्हीं तथ्यों को दोहराया है जो उन्होंने निगरानी मेमो में अंकित किये हैं। निगरानी मेमो एंव लेखी बहस के तथ्यों के प्रकाश में अधीस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि तहसीलदार हुजूर के प्रकरण कमांक 5 अ-11/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 30.4.2010 एंव कलेक्टर रीवा के प्रकरण कमांक 93 अ-12/

02-03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23-12-2010 का अपर आयुक्त रीवा संभाग ने परीक्षण कर निर्णय लिया है कि दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों में अनावेदक को पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है जबकि वह वादग्रस्त भूमि की सहभूमिस्वामिनी परिलक्षित है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने तहसीलदार हुजूर को प्रकरण जॉच हेतु एंव दोनों पक्षों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित है । तहसील न्यायालय में प्रकरण पहुंचने पर उभय पक्ष को अपना-अपना पक्ष प्रवल रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 459/2010 -11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19-7-2011 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 459/2010 -11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19-7-2011 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर